

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय रानौलीजिला करौली

क्रमांक:- ई.एम.आर.एस./रानौली/2023-24/19

दिनांक:- 26-06-2023

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय रानौली जिला करौलीमें गेस्ट फ़ैकल्टी के निम्नांकित पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	रिक्त पद का नाम	विषय	रिक्त पद	योग्यता
01	EMRS RANOLI	व्याख्याता (पीडीटी)	हिन्दी	01	MA, B.ED
02	EMRS RANOLI	व्याख्याता (पीडीटी)	अंग्रेजी	01	MA, B.ED
03	EMRS RANOLI	व्याख्याता (पीडीटी)	रसायन विज्ञान	01	M.Sc, B.ED
04	EMRS RANOLI	व्याख्याता (पीडीटी)	गणित	01	M.Sc, B.ED
05	EMRS RANOLI	छात्रावास महिला वार्डन (टीडीटी)	*	01	BA-BSc-Bcom-B.ed

2. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में दिनांक 06.07.2023 को शाम 06.00 बजे तक कार्यालयएकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय रानौली जिला करौली में व्यक्तिशः रूप उपस्थित होकर जमाकरवाये जा सकते हैं।
3. व्यक्तिशःद्वारा दिनांक 06.07.2023 को 6.00 शाम बजे तक निर्धारितप्रारूप में प्राप्त आवेदनों पत्रों पर ही विचार किया जायेगा, इसके पश्चात प्राप्त आवेदनपत्रों से संबंधित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार / चयन के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा।
4. गेस्ट फ़ैकल्टी हेतु अभ्यर्थियों के चयन का संपूर्ण अधिकारी NESTs सोसायटी के बिन्दुसंख्या 4 में वर्णित समिति को होंगा। चयन के संबंध में इस समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होंगा।
5. न्यायिक विवाद की परिस्थिति में न्यायिक क्षेत्र करौली जिला मुख्यालय होंगा।
6. गेस्ट फ़ैकल्टी की नियुक्ति चयन, प्रतिनियुक्ति पर नियमित शिक्षक प्राप्त होते ही स्वतःसमाप्त हो जायेगा।
7. यह नियुक्ति / अनुबंध अधिकतम 01 शैक्षणिक वर्ष की अवधि के लिये मान्य होंगा एवं इससे पूर्व भी NESTs सोसायटी के बिन्दु संख्या 4 "अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति" में वर्णितप्रावधानानुसार तथा आवश्कतानुसार इनको हटाया जा सकता है।
8. समस्त नियुक्त अतिथि शिक्षक इस विज्ञप्ति से संबंधित सामान्य नियम एवं शर्तें, शपथ-पत्र, NESTs सोसायटी के ईएमआरएस में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिये दिशा-निर्देशतथा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के समस्त नियमों से पांच होंगे तथा इनको यहनियम एवं शर्तें मान्य होंगी।
9. अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ शपथ-पत्र पूर्ण रूप से भरकर मय हस्ताक्षर के प्रस्तुत करेंगा।
10. अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज स्व-सत्यापित प्रस्तुत करेंगा।
11. अभ्यर्थी पर शपथ-पत्र की समस्त शर्तें एवं नियम अनिवार्य रूप से लागू होंगी।
12. शपथ-पत्र एवं आवेदन पत्र में अंकित कोई भी जानकारी / सूचना असत्य पार्यी जाने परअभ्यर्थी को तत्काल प्रभाव से पदच्युत कर दिया जायेगा तथा नियमानुसार अनुशासनात्मकार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
13. चयनित अभ्यर्थी को मानदेय, अवकाश NESTs सोसायटी के ईएमआरएस में अतिथिशिक्षकों की नियुक्ति के लिये दिशा-निर्देश के अनुसार देय होंगे।

14. इस विज्ञप्ति/भर्ती से संबंधित समस्त आगामी विशा-निर्देश, सूचनाएँ, रांशोधन विद्यालय कीआधिकारिक वेबसाईट <https://www.emrsranoli.com> पर ही अपलोड कियेजायेंगे। इनका पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जायेगा। अतः समस्तअन्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि नियमित तौर पर जिसे की आधिकारिक वेबसाईटका अवलोकन करावें।

नोट-व्याख्याता(अंग्रेजी, गणित, रसायन विज्ञान) को पद रिक्त होने के बाद बुलाया जायेगा और महिला वार्डन को छात्रवास परिसर में ही आवास करना होगा।

मेरी
प्रधानाधाय

राजकीय एकलब्ध गॉडल रेलिएन्सियल स्कूल
रानीली, तहसील टोड्डी, जिला-करौली (राज.)
ट्रॉडी ०३० कोड ३३२५६ ट्रॉडी कोड २८०३

एकलब्ध आदर्श आवासीय विद्यालय रानीलीजिला करौली

शपथ पत्र

मैं..... श्री / श्रीमति/कुमारी..... पुत्र / पुत्री
/पत्नी श्री विभाग, (संस्थान का नाम) में
दिनांक को गेस्ट फैकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिती दे रहा हू / रही हूँ।

1. यह है कि मैंने विभाग / संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया हैं तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पढ़ व समझ लिया हैं तथा इन शर्तों की पालना हेतु व्यवहार हूँ।
2. यह है कि मैंने राजस्थान के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.) वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक को अच्छे से पढ़ / समझ लिया है।
3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त सूचनाएँ पूर्णतया सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपायानहीं गया है।
4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षणिक प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेजजो विभाग द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षणिकपात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास, जाति, विकलांगता, भू.पू. सैनिक स्वंय से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही हैं।
5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएँ यदि जांच के दौरानकूटरचित / फर्जी अथवा गलत पायी जाती हैं तो मुझे गेस्ट फैकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जायेगा।जिला स्तरीय समिति के Empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाहीमुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में बाद दायर नहीं करूंगा/करूंगी।
6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदण्डों के अनुसार अपनी सेवाएँ प्रदानकरूंगा/ करूंगी तथा यदि मैं उसका उल्लंघन करता हूँ /करती हूँ तो संस्था एकतरफा कार्यवाहीहेतु स्वतंत्र अथा अधिकृत होगी।
7. यह है कि मैं जिला आंवटित होने के उपरान्त स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा/ करूंगी।
8. यह है कि मैं इस तथ्य से भलि-भांति अवगत हूँ कि जिस रिक्त पद के विरुद्ध शपथग्रहिता को गेस्टफैकल्टी रखा गया है, उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से उपर्युक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जावेगी।
9. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टरया एक सेशन के लिए है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहींकरूंगा/करूंगी।
10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गेस्ट फैकल्टी के रूप मैंनहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं कियाजायेगा।

11. मैं राज्य सरकार / विभाग / संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी नियमों / निर्देशों की पूर्ण पालनाकरुणगा/करुणी।
12. यह हक मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचितप्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी नियम या नियम अथवा विभाग द्वारा पदच्युतनहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं कियागया है और ना ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लम्बित है।
13. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य सेवनप्रस्थिति की दशा में संस्था या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गेस्ट फ़ैकल्टी केरूप में नियुक्त करने का अधिकार होगा।
14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूँगा/रखूँगी तथा इसका उल्लंघनकरने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होउंगा/होउंगी।

शपथग्रहीता

सत्यापन

शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित बिन्दु संख्या 1 से 14 में वर्णिततथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं। मैंने इनको भलिभांति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोईसूचना / तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिए उत्तरदायी रहूँगा / रहूँगी।

शपथग्रहीता

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय रानौली जिला करौलीमें गेस्ट फ़ैकल्टी हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदित विषय:-

1. आवेदक का पूर्ण नाम.....
2. पद (सेवानिवृत्त होने पर).....
3. पिता का नाम.....
4. माता का नाम.....
5. जन्म दिनांक.....
6. मोबाइल नं.....
7. स्थायीपता.....

8. मेल आई.डी.

9. शैक्षणिक योग्यता का विवरण:-

क्र. सं.	कक्षा	बोर्ड/विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण	श्रेणी	कुल प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

उपर्युक्त शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित अंकतालिकाओं की प्रति एवं प्रमाण पत्र संलग्न करे।

10. शोध प्रकाशन/शोधप्राप्त अनुभव / पुस्तकारादी का विवरण

(i) शोध प्रकाशन का विवरण (सहकर्मी द्वारा समीक्षित या यूजीसी द्वारा सूचीबद्ध जर्नल में प्रकाशित शोध पत्र ही मान्य होंगे)- लेखक/लेखकों का नाम , शोध पत्र का टाइल्स , जर्नल का विवरण मय प्रकाशन तिथि की सूची एवं शोध पत्रों की प्रतिलिपि संलग्न करे।

(ii) शिक्षण / पोस्ट डॉक्टरल अनुभव का विवरण मय प्रमाण ।

(iii) पुस्तकारों का विवरण -

अ. अंतर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त किये गये पुस्तकारों का विवरण मय प्रमाण पत्र ।

ब. राज्य स्तरीय स्तर पर प्राप्त किये गये पुस्तकारों का विवरण मय प्रमाण पत्र ।

आवेदक के हस्ताक्षर

शपथ

मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित सभी सूचनाएँ मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है यदि इन सूचनाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पायी जाती हैं तो मैं स्वयं इसके लिए उत्तरदायी होऊंगा/होउंगी ।

शपथग्रहिता के हस्ताक्षर

कार्यालय—एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल रानोली,ब्लॉक—टोडाभीम (करौली)
क्रमांक—EMRS रानोली / 2023–24/ 19

दिनांक— २६/०६/२०२३

विज्ञप्ति

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल रानोली ब्लॉक टोडाभीम करौली में गेस्ट फेकल्टी पी.जी.टी.(हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, रसायन विज्ञान) एवं टी.जी.टी.(छात्रावास महिला वार्डन) हेतु इच्छुक पात्र अभ्यार्थियों से दिनांक 06.07.2023 को विद्यालय में शाम 6 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं विज्ञप्ति से सम्बन्धित विवरण यथा आवेदन पत्र, शपथपत्र एवं अन्य जानकारी विद्यालय की वेबसाइट <https://www.emrsranoli.com> एवं विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती हैं!

२७६
प्रधानाधाय
राजकीय एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल
रानोली, तहो टोडाभीम, जिला—करौली (राज.)

प्रतिलिपि सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु क्रमांक : १९ तित्रोङ २६/०६/२०२३

१. श्रीमान आयुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज.स्टेट ईएमआरस सोसायटी उदयपुर
२. श्रीमान जिला कलेक्टर करौली
३. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् (ग्रा.वि.प्र) करौली
४. श्रीमान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मा.शि. करौली
५. श्रीमान मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी टोडाभीम
६. श्रीमान सेवानिवृत डीडी श्री शिवचरण मीना निवासी रानोली
७. श्रीमान विषय विशेषज्ञ
८. संपादक दैनिक भास्कर एवं राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र जिला करौली को प्रेषित कर लेख हैं कि इस विज्ञप्ति का न्यूनतम स्थान में डी आई.पी आर की अनुमोदित दरों पर राज्य स्तरीय संस्करण में अतिशीघ्र प्रकाशित करावे !
९. कार्यालय जिला कलेक्टर / कोषाधिकारी / जिला परिषद् करौली एवं अन्य कार्यालय के नोटिस बोर्ड
१०. कार्मिक श्री कल्याणसिंह मीना एवं श्री लोकेशकुमार मीना उक्त कार्य को सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।
११. रक्षित पत्रावली

२७६
प्रधानाधाय
राजकीय एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल
रानोली, तहो टोडाभीम, जिला—करौली (राज.)

ईएमआरएस में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश

1. परिचय:

जनजातीय कार्य मंत्रालय एसटी बच्चों के लिए 1997-98 से राज्यों में एकलत्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की है, जिसमें जनजातीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें शिक्षा के सर्वोत्तम अवसरों का उपयोग करने और उन्हें सामान्य वर्ग के बराबर लाने में सक्षम बनाया गया है।

वर्तमान में, EMRSS संबंधित राज्य सरकारों के जनजाति विकास विभाग द्वारा स्थापित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की EMRS सोसायटियों द्वारा उनके संबंधित राज्यों की नीतियों और मानदंडों के अनुसार चलाए जा रहे हैं। EMRSS को आवश्यक बुनियादी ढाँचे, सुविधाओं और अपेक्षित कर्मचारियों से सुसज्जित किया जाना है ताकि उनकी स्थापना के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। रिक्तियों या लंबे अवकाश के कारण कर्मचारियों की अनुपलब्धता स्कूली शिक्षा प्रणालियों की एक सामान्य घटना है और EMRSS भी इसका अपवाद नहीं है।

शिक्षकों की अनुपलब्धता की समस्या को हल करने की प्रतिबद्धता के साथ, NESTS ने अतिथि शिक्षकों के रूप में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

2. उद्देश्य:

रिक्तियों के कारण कर्मचारियों की अनुपलब्धता या लंबे अवकाश पर जाने वाले कर्मचारियों या ईएमआरएस के उन्नयन से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की समस्या को हल करने के लिए यह विकल्प आवश्यक है।

3. सामान्य निर्देश:

ईएमआरएस के उन्नयन से उत्पन्न होने वाली रिक्ति/या जब शिक्षक लंबे अवकाश पर जाता है, तो राज्य / केंद्रशासित प्रदेश की ईएमआरएस सोसायटी शिक्षकों को अतिथि शिक्षक (पीजीटीएस और टीजीटी के रूप में) के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत हैं।

अतिथि शिक्षकों के रूप में लगे शिक्षकों को नियमित नियुक्ति का अधिकार नहीं होगा। अतिथि शिक्षकों को EMRSS में और न ही EMRSS के कैंडर के एक भाग के रूप में माना जाएगा।

अतिथि शिक्षकों को नियुक्त करते समय निम्नलिखित बातों का पालन करना चाहिए:

- शिक्षक के पास आवश्यक शैक्षिक योग्यता निर्धारित मापदंड। अनुसार होना चाहिए शिक्षकों के लिए यानी पीजीटी टीजीटीएस आदि।
- न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा क्रमशः 21 वर्ष और 60 वर्ष होगी।
- राज्य सरकार / केंद्रीय / एनवीएस / मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित सीबीएसई स्कूलों से सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी, बशर्ते कि वे आवासीय व्यवस्था में काम करने के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट हों। जिस पद से वे सेवानिवृत्त हुए हैं, उसी पद पर उन्हें लगाया जा सकता है।

- d) अतिथि शिक्षक को एक शैक्षणिक वर्ष या रिक्ति अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा (मातृत्व अवकाश या शिशु देखभाल अवकाश या 30 दिनों से अधिक का कोई अन्य लंबा अवकाश) या नियमित शिक्षक के कार्यभार ग्रहण करने तक, जो भी पहले हो।
- e) प्रधानाचार्य, उप-प्राचार्य, पुस्तकालयाध्यक्ष और कार्यालय कर्मचारी के पदों को इस रूप में नहीं भरा जाएगा।
- f) अनुबंध के नवीनीकरण के लिए अतिथि/सेवानिवृत्त शिक्षक को नए सिरे से आवेदन करना होगा और प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में साक्षात्कार में उपस्थित होना होगा। अतिथि/सेवानिवृत्त शिक्षकों को काम पर रखने की कार्रवाई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में रखा जाएगा। हालांकि, ईएमआरएस में काम करने के अनुभव को साक्षात्कार में उचित महत्व दिया जाएगा।

4. चयन प्रक्रिया:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की ईएमआरएस सोसायटी राज्य में चल रहे ईएमआरएसएस के लिए जिला स्तर पर अध्यापन और अन्य पदों के लिए साक्षात्कार आयोजित करेंगी और केवल एक शैक्षणिक वर्ष के लिए मान्य एक पैनल तैयार करेंगी। सामान्य साक्षात्कार नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले आयोजित किया जाएगा। राज्य के ईएमआरएसएस में पैनल का प्रयोग केवल रिक्तियों की मौजूदगी/ईएमआरएस के उन्नयन से उत्पन्न होने वाली रिक्ति/या जब शिक्षक लंबे अवकाश पर जाता है, के मामले में किया जाएगा।

एक शैक्षणिक वर्ष के लिए अतिथि शिक्षकों का एक पैनल तैयार करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की ईएमआरएस सोसायटी द्वारा अपनाया जाना है:

- विज्ञापन राज्य के कम से कम 2 प्रमुख समाचार पत्रों में दिया जाएगा। शैक्षणिक वर्ष के लिए राज्य भर में EMRSS में अतिथि शिक्षकों के रूप में शिक्षकों का जिला स्तरीय पैनल और ऑनलाइन मोड में आवेदन आमंत्रित करना।
- आवेदन जमा करते समय आवेदकों को अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अपनी प्राथमिकता के घटते क्रम में जिले में चल रहे 3-5 ईएमआरएसएस का विकल्प चुनना होगा, यदि चयनित हो।
- किसी भी साक्षात्कार में चल रहे ईएमआरएसएस में अतिथि शिक्षक के रूप में काम करने के इच्छुक उम्मीदवार प्रत्येक जिले हेतु अलग से आवेदन करना होगा और अलग से उपस्थित होना होगा।
- साक्षात्कार आयोजित करने के लिए एक पैनल का गठन करें।

जिला स्तरीय समिति को साक्षात्कार के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। डीएलसी के गैर-गठन के मामले में, राज्य ईएमआरएस सोसायटी समिति का गठन कर सकती है या विभिन्न पदों के लिए साक्षात्कार आयोजित करने की जिम्मेदारी अलग-अलग ईएमआरएसएस को सौंप सकती है। साक्षात्कार आयोजित करने वाली समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होने चाहिए:

- जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त या नामित अध्यक्ष;
- परियोजना अधिकारी/जिला या मुख्य शिक्षा अधिकारी;
- प्रभारी अकादमिक मामले राज्य ईएमआरएस सोसायटी या एक डीएलसी से शिक्षाविद सदस्य;
- विषय विशेषज्ञ और
- एक ईएमआरएस प्रिंसिपल।

e) पात्रता मानदंड, शिक्षण अनुभव और साक्षात्कार के अनुसार शैक्षिक योग्यता के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी।

f) अतिथि शिक्षकों के पैनल को राज्य ईएमआरएस सोसायटी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और केवल ईएमआरएस के उन्नयन से उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के अस्तित्व के मामले में या जब शिक्षक लंबे अवकाश पर जाते हैं तो इसका संचालन किया जाना है।

5. अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति:

अनुबंध के नवीनीकरण के लिए अतिथि/सेवानिवृत्त शिक्षक को नए सिरे से आवेदन करना होगा और प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में साक्षात्कार में उपस्थित होना होगा। अतिथि/सेवानिवृत्त शिक्षकों को काम पर रखने की कार्रवाई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा काफी पहले शुरू की जानी चाहिए ताकि शिक्षकों को शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत से बिना असफल हुए काम पर रखा जा सके। हालांकि, ईएमआरएस में काम करने के अनुभव को साक्षात्कार में उचित महत्व दिया जाएगा।

a) चयनित उम्मीदवारों को ईएमआरएस में अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जहां उन्हें रिक्ति/अवकाश रिक्ति के मामले में नियुक्त किया जाएगा।

b) एक शैक्षणिक वर्ष या रिक्ति अवधि (मातृत्व अवकाश या बाल देखभाल अवकाश या 30 दिनों से अधिक की कोई अन्य लंबे अवकाश) या स्पष्ट रिक्ति के मामले में नियमित रूप से शामिल होने तक, जो भी हो, तक मान्य होगी।

c) अतिथि शिक्षक ईएमआरएस में नियमित पदस्थापन के लिए दावा नहीं करेंगे।

d) पारिश्रमिक का भुगतान: अतिथि शिक्षकों को व्याख्यान/अवधि के आधार पर भुगतान किया जाएगा। पारिश्रमिक @ रु. पीजीटी के लिए 320/पीरियड, @ रु. टीजीटी के लिए 300/अवधि और रु. हॉस्टल वार्डन के लिए 1200 / दिन। अतिथि शिक्षकों को न्यूनतम 5 कालांश/दिन तथा अधिकतम 6 कालांश/दिन आवंटित किये जा सकते हैं। प्रति अवधि के आधार पर परिकलित अतिथि शिक्षकों का अधिकतम वेतन निम्नानुसार अधिकतम तक सीमित किया जाए:

पीजीटी- रु. 45000/-

टीजीटी-रु. 42000/-

छात्रावास वार्डन- रु. 36000/-

e) छात्रावास के वार्डन को ग्रीष्म एवं शीतकालीन अवकाश तथा पतझड / दीपावली अवकाश या लगातार 15 या उससे अधिक दिनों के किसी अन्य अवकाश के दौरान भुगतान नहीं किया जाएगा।

f) किसी भी प्रकार के अवकाश को विद्यालय से अनुपस्थिति माना जायेगा और उसे बिना वेतन अवकाश के माना जायेगा।

g) अतिथि शिक्षकों की सेवाएं बिना किसी कारण से केवल 15 दिनों की पूर्व सूचना के साथ समाप्त किया जा सकता है।

h) अतिथि शिक्षकों के काम के घंटे नियमित शिक्षकों के समान होंगे।

i) अतिथि शिक्षकों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व नियमित शिक्षक/अवलंबे के समान होंगे। नियमित कक्षा गतिविधि, प्रतिलिपि सुधार, निरीक्षण कर्तव्य, मूल्यांकन कर्तव्य, विभिन्न साहित्यिक, सह-पाठ्यक्रम, खेल गतिविधियों के लिए छात्रों को तैयार करना, अनुरक्षण कर्तव्य, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामांकन, प्राचार्य द्वारा सौंपे गए कार्य आदि की पालन करनी होगी।

- j) अतिथि शिक्षकों को आवास प्रदान किया जा सकता है यदि उपलब्ध (व्यक्तिगत/साइकारण के आधार पर निःशुल्क जिसे उन्हें 7 दिनों के भीतर खाली करना होगा अनुबंध की समाप्ति पर करना होगा।
- k) जिस ईएमआरएस में अतिथि शिक्षक कार्यरत है, उसमें नियमित शिक्षक/पदधारी के शामिल होने के मामले में, अतिथि शिक्षक को अन्य ईएमआरएस में नियुक्त किया जा सकता है, जहां उक्त रिक्त मौजूद है, बशर्ते अतिथि शिक्षक का प्रदर्शन संतोषजनक हो और अतिथि शिक्षक के पास आवेदन पत्र में उस ईएमआरएस के विकल्प का प्रयोग किया। तथापि, अतिथि शिक्षकों की कमी होने पर अतिथि शिक्षकों की सहमति से किसी भी ईएमआरएस में पदस्थापन किया जा सकता है।
- l) अतिथि शिक्षक का पैनल केवल एक शैक्षणिक वर्ष के लिए वैध रहेगा। हालांकि, अप्रत्याशित परिस्थितियों या अतिथि शिक्षक के संतोषजनक प्रदर्शन के मामले में, अतिथि शिक्षक का पैनल की वैधता nests की पूर्व स्वीकृति के साथ अगले शैक्षणिक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन ईएमआरएस अतिथि के साथ एक नया अनुबंध करेगा। शिक्षक प्रदान की रिक्ति अभी भी मौजूद है।
- m) शैक्षणिक वर्ष के लिए अतिथि शिक्षकों के चयन पैनल के लिया राज्य ईएमआरएस सोसायटी पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी।

6. सेवानिवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति :

- a) चयनित उम्मीदवारों को ईएमआरएस में अतिथि शिक्षक (सेवानिवृत्त शिक्षक) के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जहां उन्हें रिक्ति/अवकाश रिक्ति के मामले में नियुक्त किया जाएगा।
- b) सेवानिवृत्त शिक्षकों को मासिक आधार पर 10 महीने से अधिक की अवधि के लिए या नियमित पदधारी के कार्यभार ग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाएगा।
- c) पारिश्रमिक का भुगतान: सेवानिवृत्त शिक्षकों को निम्नानुसार किसी भी विकल्प का पालन करते हुए मासिक आधार पर भुगतान किया जाएगा:
- @ अंतिम आहरित वेतन - पैशन। सेवानिवृत्त शिक्षक की नियुक्ति बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है और EMRS द्वारा किसी नोटिस अवधि के उपरांत भुगतान नहीं किया जाएगा।
 - एनवीएस/केवीएस और अन्य सेवानिवृत्त शिक्षकों के मामले में आहरित अंतिम वेतन का 50% भुगतान किया जाएगा एवं सरकार स्कूल जहां पैशन का कोई प्रावधान लागू नहीं है।
 - निजी विद्यालय से सेवानिवृत्त शिक्षक के मामले में जहां पैशन नहीं है न्यूनतम और अधिकतम रीमा परिभाषित की जा सकती है या मानदंड का पालन किया जाएगा है।
- पीजीटी के लिए: 45000/-;**
टीजीटी: 42000/-
छात्रावास वर्डन: 36000/-
- d) सेवानिवृत्त शिक्षकों के कार्य के घंटे नियमित शिक्षकों के समान होंगे।
- e) एक वर्ष में 8 आक्सिमिक अवकाश के प्रावधान की अनुमति होगी।
- f) सेवानिवृत्त शिक्षकों के कर्तव्य और जिम्मेदारियां नियमित शिक्षक / पदधारी के समान या समान होंगी। नियमित कक्षा गतिविधि, कॉफी सुधार, निरीक्षण कर्तव्य, मूल्यांकन कर्तव्य, विभिन्न साहित्यिक,

सह-पाठ्यक्रम, खेल गतिविधियों के लिए छात्रों को तैयार करना, अनुरक्षण कर्तव्य, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामांकन, प्राचार्य द्वारा सौंपा गया कर्तव्य आदि।

- g) सेवानिवृत्त शिक्षक को एक अधिकृत चिकित्सा अधिकारी से चिकित्सा-सह-फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- h) सेवानिवृत्त अतिथि शिक्षकों को उनकी उपलब्धता के आधार पर आवास (व्यक्तिगत/साझाकरण के आधार पर निःशुल्क प्रदान किया जा सकता है, जिसे उन्हें अनुबद्ध समाप्ति के 7 दिनों के भीतर खाली करना होगा।
- i) आने वाले के सेवानिवृत्त शिक्षक के पैनल के लिए एक सेवानिवृत्त शिक्षक पर विचार किया जा सकता है पिछले वर्षों उसका प्रदर्शन संतोषजनक हो। हाल हर साल अधिकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर से मेडिकल-कम-फिटनेस सर्टिफिकेट, उसे जमा करना होगा।